यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, रुद्रप्रयाग द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, रुद्रप्रयाग के माह 06/2013 से 11/2017 तक के लेखा–अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एस0के0 गुप्ता, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं मो0 सलीम खान, वरि0 लेखापरीक्षक द्वारा दिनॉक 05.12.2017 से 08.12.2017 तक श्री आई0के0 जुयाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग–I

1. **परिचयात्मकः–** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री खजान सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री रामवीर सिंह, वरि0 लेखापरीक्षक द्वारा दिनॉक 15.06.2013 से 18.06.2013 तक श्री आई0के0 जुयाल, लेखापरीक्षा अधिकारी के आंशिक पर्यवेक्षण में सम्पादित की गई थी, जिसमें माह 07/2010 से 05/2013 तक के लेखा–अभिलेखों की जॉच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 06/2013 से 11/2017 तक के लेखा–अभिलेखों की जॉच की गयी।

2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**

   इकाई द्वारा उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने हेतु आवश्यक मूल–भूत सुविधाओं की ब्यवस्था करना, चिकित्सालय में रोगियों को निःशुल्क उपचार करना, औषधि क्रय, निःशुल्क वितरण इत्यादि सुविधाऐं प्रदान करना है। इकाई का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र चिकित्सालय परिसर तक सीमित है, जिसमें आने वाले समस्त रोगियों का ईलाज किया जाता है।

   (ii) (अ) विगत पॉच वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु0 लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवषेष		स्थापना		गैर स्थापना		स्थापना		गैर स्थापना	
	स्थापना	गैर स्थापना	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	आधिक्य (+)	बचत (-)
2015–16	–	–	–	–	551.93	517.00	–	–	–	34.93
2016–17	–	–	2.00	1.98	635.10	554.00	–	0.02	–	81.10
2017–18 (11/2017)	–	–	–	–	410.02	327.07	–	–	–	82.95

नोटः बजट की अवशेष धनराशि वित्तीय वर्ष के अन्त में समर्पित की जाती है।

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् हैः

(रु0 लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
2015–16	एन0एच0एम0	10.78	55.85	50.27	–	16.36
2016–17		16.36	47.66	36.38	–	27.64
2017–18 (11/2017)		27.64	13.58	13.70	–	27.52

(iii) इकाई को बजट आबंटन राज्य सरकार मद हेतु महानिदेशक स्तर तथा एन0एच0एम0 का बजट मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से प्राप्त होता है। गैर–स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "सी" श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः—

अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
⇓
अपर सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
⇓
महानिदेशक
⇓
निदेशक
⇓
मुख्य चिकित्सा अधिकारी / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
⇓
चिकित्सा अधीक्षक
⇓
अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी
⇓
वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी
⇓
चिकित्साधिकारी
⇓
पैरामेडिकल संवर्ग
⇓
मिनिस्टिरियल संवर्ग

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, रुद्रप्रयाग को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किए जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, रुद्रप्रयाग की लेखापरीक्षा में पाए गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह मार्च 2016 एवं मार्च 2017 को अधिकतम व्यय के आधार पर विस्तृत जॉच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गये नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी0पी0सी0 एक्ट 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गई।

भाग दो –"ब"

प्रस्तर 01: जननी सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत रु. 2.32 लाख का अधिक (excess) भुगतान।

राष्ट्रीय कार्यक्रम जननी सुरक्षा योजना अप्रैल 2005 मे प्रारम्भ की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहित करना था ताकि मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सके। जननी सुरक्षा योजना की निर्देशिका के अनुसार सरकारी अस्पतालों मे संस्थागत प्रसव कराने पर महिला को प्रोत्साहन राशि के रूप मे ग्रामीण क्षेत्र मे रु0 1400 एवं शहरी क्षेत्र मे रु0 1000 का भुगतान चैक के माध्यम से किया जाना चाहिए।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, रुद्रप्रयाग के जननी सुरक्षा योजना से संबन्धित लेखा-अभिलेखो की नमूना जांच मे पाया गया कि वर्ष 2012-13 से 2017-18 (11/2017) तक कुल 5022 लाभार्थियों को रु. 71.38 लाख का भुगतान किया गया था। आगे जांच मे पाया गया कि वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थियों को भुगतान रु. 1400/- की दर से किए जाने के कारण कुल 2.32 लाख का अधिक(excess) भुगतान किया गया था। शहरी क्षेत्र के लाभार्थियों को वर्ष 2012-13 मे रु. 61600/-, वर्ष 2013-14 मे रु. 68400/-, वर्ष 2014-15 मे रु. 83600/- एवं वर्ष 2015-16 मे रु. 18400/- का; अर्थात इन वर्षों मे समग्र रूप से रु. 232000 का अनियमित एवं अधिक (excess) भुगतान किया गया।

वर्ष	क्षेत्र	कुल संस्थागत प्रसवों की संख्या	प्रदत्त राशि (ग्रामीण / 1400 एवं शहरी / 1000)	देय राशि (ग्रामीण / 1400 एवं शहरी / 1000)	आधिक्य भुगतान
2012-13	शहरी	154	215600	154000	61600
2013-14	शहरी	171	239400	171000	68400
2014-15	शहरी	209	292600	209000	83600
2015-16	शहरी	46	64400	46000	18400
योग	**शहरी**	**580**	**812000**	**580000**	**232000**

इस संबंध मे लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने पाने उत्तर मे बतलाया कि वर्तमान मे शहरी क्षेत्रों को रु. 1000/- की दर से भुगतान किया जा रहा है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि योजना के प्रारम्भ से ही "Operational Guideline of Janani Suraksha Yojana-2005" मे लाभार्थियों को भुगतान की दर शहरी क्षेत्रों मे रु. 1000/- एवं ग्रामीण क्षेत्रों मे रु. 1400/- थी।

अतः जननी सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत रु. 2.32 लाख के अधिक (excess) भुगतान का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–2 रक्तकोष स्थापना हेतु निर्धारित मानकों की अवहेलना के कारण रु0 38.75 लाख का अलाभकारी व्यय।

जनपद रुद्रप्रयाग में रक्तकोष की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य यात्राकाल में कतिपय सडक दुर्घटनाओं एवं पहाडी पैदल मार्ग पर गिरने एवं चट्टानों से पत्थर गिरने से स्थानीय लोग एवं यात्री घायल हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में घायलों को ब्लड की नितान्त आवश्यकता हो जाती है। घायल यात्री जनपद के विभिन्न स्थानों में जनपद मुख्यालय स्थित जिला चिकित्सालय हेतु संदर्भित होते हैं, किन्तु यहॉ पर ब्लड बैंक की व्यवस्था न होने के कारण चिकित्सा संस्थाओं तक ले जाते हुए घायल दम तोड देते हैं।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, रुद्रप्रयाग के रक्तकोष निर्माण से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि चिकित्सालय द्वारा रक्तकोष भवन स्थापना हेतु रु0 32.90 लाख का आंगणन प्रेषित किया गया (अक्टूबर 2004 एवं अगस्त 2005), जिसके सापेक्ष रु0 32.90 लाख व्यय कर भवन निर्माण कार्य चिकित्सालय को हस्तगत किया गया (फरवरी 2008)। रक्तकोष निर्माण के पश्चात् महानिदेशालय/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रुद्रप्रयाग के स्तर से रु0 5.85 लाख के 09 उपकरण रक्तकोष के संचालन मार्च 2006 से नवम्बर 2011 में प्राप्त हुए, परन्त उन उपकरणों का लेखापरीक्षा अवधि तक उपयोग नहीं किया गया। प्राप्त 09 उपकरणों में से 03 उपकरणों लागत रु0 2,59,584 तो बिना उपयोग किए ही बेकार हो गये तथा अवशेष उपकरण रक्तकोष भवन में अनुपयोगी पडे हुए थे। इसप्रकार, रक्तकोष भवन के निर्माण पर हुए रु0 38.75 लाख (निर्माण : रु0 32.90 एवं उपकरण : रु0 5.85 लाख) व्यय किए जाने के लगभग 9 वर्ष व्यतीत होने के बावजूद भी संचालन नहीं किया गया। रक्तकोष का संचालन न किए जाने का प्रमुख कारण ड्रग्स एण्ड कॉस्मेटिक एक्ट 1942 के अन्तर्गत रक्तकोष भवन की स्थापना किए जाने हेतु आवश्यक 100 वर्गमी0 क्षेत्र के सापेक्ष मात्र 76.38 वर्गमी0 में ही रक्तकोष भवन का निर्माण किया जाना था। निर्धारित मानक से कम स्थान पर रक्तकोष भवन का निर्माण किए जाने के कारण रक्तकोष संचालन हेतु लाईसेंस अभी तक प्राप्त नहीं हो सका, परिणामस्वरुप रक्तकोष भवन के निर्माण पर किया गया व्यय रु0 38.75 लाख अनुपयोगी रहा।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने अपने उत्तर में बताया कि पूर्व में मानक से कम स्थल पर निर्माण किया गया था, जिस हेतु उसी भवन के प्रथम तल पर अतिरिक्त निर्माण किया गया। वर्तमान में मानक एवं कमियों को दूर कर दिया गया है तथा रक्तकोष संचालन हेतु लाईसेंस जारी करने का अनुरोध किया गया है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ड्रग्स एण्ड कॉस्मेटिक एक्ट 1942 के अन्तर्गत रक्तकोष भवन की स्थापना के मानकों का पूर्व में संज्ञान लिया जाना चाहिए था।

अतः रक्तकोष स्थापना हेतु निर्धारित मानकों की अवहेलना के कारण रु0 38.75 लाख के अलाभकारी व्यय का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–3 मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत रु0 3.02 लाख की शासकीय हानि।

मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के क्रियान्वयन हेतु जिला चिकित्सालय, चमोली, थर्ड पार्टी प्रशासक (टी0पी0ए0) एवं बीमा कम्पनियों (i) यूनाईटेड इण्डिया इन्शोरेन्स कम्पनी लिमिटेड, चैन्नई फेस–। तथा (ii) बजाज एलाइन्स इन्शोरेन्स कम्पनी लिमिटेड, पूना फेस–।। के मध्य सेवा अनुबन्ध हेतु एक समझौता ज्ञापन[1] किया गया। समझौता ज्ञापन के बिन्दु संख्या 14 में उल्लिखित भुगतान के नियम एवं शर्त के अनुसारः

1. चिकित्सालय को लाभार्थी के चिकित्सा उपचार, शल्य चिकित्सा, ओ0पी0डी0 इत्यादि से सम्बन्धित अन्तिम/ वॉछित दस्तावेज लाभार्थी के चिकित्सालय से डिस्चार्ज होने के सात दिनों के भीतर बीमा कम्पनी को ऑनलाइन अपलोड करना होगा।
2. यदि चिकित्सालय इन्टरनेट कनेक्टिविटी या अन्य कारणों से वॉछित दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने में असमर्थ रहता है तो भुगतान हेतु दावों को अधिकतम 10 दिनों के भीतर इलेक्ट्रोनिकली या मैन्युअली रुप से बीमा कम्पनी को प्रस्तुत करना होगा।
3. दावा प्रेषित करते समय चिकित्सालय भुगतान हेतु दावों को प्रस्तुत करने में हुई देरी के कारणों को बीमा कम्पनी को सूचित करेगा। यदि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे 30 दिनों के भीतर बीमा कम्पनी को प्रस्तुत किए गये हों तो बीमा कम्पनी इस आधार पर दावों को अस्वीकार नहीं करेगी कि दावे 10 दिनों के भीतर प्राप्त नहीं हुए या निर्धारित प्रारुप में नहीं थे।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, रुद्रप्रयाग के मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना (एम0एस0बी0वाई0) से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि चिकित्सालय द्वारा योजना के क्रियान्वयन हेतु फेस–। में यूनाईटेड इण्डिया इन्शोरेन्स कम्पनी लिमिटेड, चैन्नई को 30 जून 2016 तक रु0 12,06,387 की राशि के 242 चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे प्रस्तुत किए गये, जिसमें से लेखापरीक्षा अवधि तक बीमा कम्पनी द्वारा 194 मामलों में ही रु0 7,56,650 की राशि प्रतिपूर्ति की गई तथा रु0 1,35,550 के 21 दावे प्रतिपूर्ति हेतु इस आधार पर निरस्त की गई कि चिकित्सालय द्वारा उक्त दावों को समझौता ज्ञापन में निर्धारित समय–सीमा के पश्चात् प्रस्तुत किया। इसीप्रकार, फेस–।। के अन्तर्गत 01 अगस्त 2016 से बजाज एलाइन्स इन्शोरेन्स कम्पनी लिमिटेड, पूना को 30 नवम्बर 2017 तक रु0 8,32,250 की राशि के 91 चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे प्रस्तुत किए गये, जिसमें से नवम्बर 2017 तक

[1] यूनाईटेड इण्डिया इन्शोरेन्स कम्पनी लिमिटेड, चैन्नई (01.04.2015 से 31.07.2016) एवं बजाज एलाइन्स इन्शोरेन्स कम्पनी लिमिटेड, पूना (01.08.2016 से वर्तमान तक)।

बीमा कम्पनी द्वारा 46 मामलों में ही रु0 3,54,500 की राशि प्रतिपूर्ति की गई तथा रु0 1,66,500 के 16 दावों को प्रतिपूर्ति किए जाने हेतु निरस्त किया गया। वर्तमान में 56 प्रतिपूर्ति के दावे बीमा कम्पनी में लम्बित हैं। चिकित्सालय द्वारा बीमा कम्पनियों को प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत दावों, उसके सापेक्ष भुगतानित दावों एवं अस्वीकृत दावों का विवरण निम्नवत् हैः–

बीमा कम्पनी	योजना का नाम	समझौता अवधि की तिथि	कुल प्रस्तुत दावे		भुगतानित दावे		अस्वीकृत दावे	
			संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
यूनाईटेड इण्डिया इन्शोरेन्स कम्पनी लिमिटेड, चैन्नई	एम0एस0बी0 वाई0 **फेस–।**	01.06.2015 से 30.06.2016 तक	242	12,06,387	194	7,56,650	21	1,35,550
बजाज एलाइन्स इन्शोरेन्स कम्पनी लिमिटेड, पूना	एम0एस0बी0 वाई0 **फेस–।।**	01.08.2016 से नवम्बर 2017 तक	91	8,32,250	46	3,54,500	16	1,66,500
	योगः–		**333**	**20,38,637**	**240**	**11,11,150**	**37**	**3,02,050**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया कि अनुबन्ध में निर्धारित समयावधि में प्रतिपूर्ति हेतु चिकित्सा प्रपत्रों को अपलोड करने में नेटवर्क की परेशानी एवं प्रपत्रों के मिलान की पुष्टि न होने के कारण चिकित्सा दावे निरस्त किए गये। वर्तमान में उक्त योजना समाप्त की जा चुकी है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इन समस्त कमियों को चिकित्सालय स्तर पर दूर किया जाना चाहिए था ताकि शासकीय हानि से बचा जा सके।

अतः मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत रु0 3.02 लाख के शासकीय हानि का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर–1 रु0 6.80 लाख के अक्रियाशील एवं अनुपयोगी उपकरणों की नीलामी न किया जाना।

सामान्य वित्तीय नियम 196 एवं 197 के अनुसार निष्प्रयोज्य सामग्री को यथाशीघ्र नीलामी की जानी चाहिए ताकि उक्त सामग्री को और मूल्य ह्रास से बचाया जा सके।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, रुद्रप्रयाग के उपकरण भण्डार पंजिका एवं सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि चिकित्सालय में रु0 6.80 लाख की लागत के सात उपकरण विगत चार वर्षों से निष्प्रयोज्य पडे हुए हैं, जिसकी नीलामी की जानी चाहिए थी। इसप्रकार, समय पर निष्प्रयोज्य घोषित सामग्री की नीलामी न किए जाने से निष्प्रयोज्य उपकरणों का न केवल निरन्तर मूल्य ह्रास हो रहा है अपितु नीलामी से प्राप्त होने वाली विभागीय प्राप्तियों की भी हानि हो रही है। निष्प्रयोज्य उपकरणों का विवरण निम्नवत् हैः–

क्र0	चिकित्सा उपकरण का नाम	क्रय की तिथि	दर	अनुपयोगी / निष्प्रयोज्य योग्य रहने की तिथि
1.	Blood bank refrigerator with voltage stebilizer (2 No.)	20.04.2007	202904.00	31.12.2010 & 23.12.2010
2.	Autoclave vertical	29.03.2011	51480.00	07.07.2013
3.	Caling shaduwless lap (2 No.)	19.05.2011	55000.00	27.02.2017
4.	Water Bath	14.11.2011	5200.00	09.07.2011
5.	Cardiac monitor with defibrillator	16.03.2010	365750.00	26.12.2013
	Total :		**680334.00**	

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने अपने उत्तर में बताया कि उपकरणों का अनुपयोगी रहने का कारण व्लड बैंक की स्थापना न होना है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बिना व्लड बैंक की स्थापना के उपकरणों को प्राप्त किया ही नहीं जाना चाहिए था।

अतः रु0 6.80 लाख के अक्रियाशील एवं अनुपयोगी उपकरणों की नीलामी न किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर–2 त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के परिणास्वरुप रु0 13.11 लाख का अधिक भुगतान।

शासनादेश संख्या 41/xxvii/7 सी भर्ती/2009 दिनॉक 13.02.2009 के अनुसार यदि किसी कार्मिक की भर्ती दिनॉक 01.01.2006 अथवा इसके पश्चात् सीधी भर्ती से हुयी हो तो उनके वेतन बैण्डों एवं ग्रेड वेतन पर न्यूनतम प्रविष्टि वेतन पर वेतन निर्धारित किया जाएगा तथा शासनादेश संख्या 2084/XXVIII-3-2013-142/2008 दिनॉक 31.12.2013 के अनुसार चीफ फार्माशिष्टों/ फार्माशिष्टों उच्चीकृत किया गया था।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, रुद्रप्रयाग के सेवा पुस्तिकाओं की नमूना जॉच में पाया गया कि चिकित्सालय में कार्यरत 07 चीफ फार्माशिष्टों/फार्माशिष्टों का वेतन निर्धारण शासनादेश दिनॉक फरवरी 2009 एवं दिसम्बर 2013 में प्रावधानित दिशा–निर्देशों के विपरीत अधिक वेतन निर्धारण किया गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। इसप्रकार, त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के परिणामस्वरुप चिकित्सालय के अधीन 07 चीफ फार्माशिष्टों/फार्माशिष्टों को रु0 13.11 लाख का अधिक वेतन भुगतान किया गया। विस्तृत विवरण **संलग्नक–1 से 8** में दिया गया है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने अपने उत्तर में बताया कि शासनादेश में स्पष्टता ज्ञात न होने के कारण सम्भवतः त्रुटि हुई हो, फिर भी प्रकरण पर उच्चाधिकारियों से दिशा–निर्देश प्राप्त किया जाएगा तथा कोई विसंगति उजागर होती है तो तद्नुसार कार्रवाई की जायेगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि शासनादेश में स्पष्ट प्रावधान किए गये हैं एवं उसके अनुसार ही वेतन निर्धारण किया जाना चाहिए था।

अतः त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के परिणास्वरुप रु0 13.11 लाख के अधिक भुगतान का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर:3- रु. 63.88 लाख के ई –भुगतान के धनराशि की प्रविष्टि रोकड़ बही में नहीं किया जाना।

शासन के पत्रांक सं०- 3/ xxvii(6)/ 2013, दिनांक 02 जनवरी 2013 के बिंदु संख्या 4.9 में ई-पेमेंट प्रणाली में दिए गये दिशा-निर्देशों के अनुसार 'आहरण एवं संवितरण अधिकारी इन्टरनेट की सहायता से अपने देयकों की धनराशि सम्बंधित के बैंक खातें में अंतरण हो जाने के विवरण का प्रिंट प्राप्त करेंगे तथा भुगतान सम्बंधित अभिलेखों – यथा 11 सी पंजिका, कैशबुक, बिल रजिस्टर आदि में इनके प्राप्त होने की प्रविष्टि यथा स्थान पर करेंगे। इसके अतिरिक्त, Form BM- 05 में DDO द्वारा सम्बंधित माह में किये गये लेनदेनों के सत्यापन हेतु स्पष्ट रूप से वर्णित है कि ''''Certified that all the drawals shown in the statement are correct except the followings ones (if any) which have not been made by me'' and ''Besides the above the following are also the drawals (if any) by me during the month which have not been shown in the statement.''

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, रुद्रप्रयाग की रोकड़बही की विस्तृत लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि चयनित माह मार्च 2016 एवं मार्च 2017 में रु. 63.88 लाख के वेतन भत्तों की कोषागार से आहरित/भुगतान की प्रविष्टि रोकड़ बही में नहीं किया गया था।

उपरोक्त प्रकरण की ओर लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने रु. 63.88 लाख के प्रविष्टि नहीं किए जाने को स्वीकार किया गया।

अतः रु. 63.88 लाख के वेतन भत्तों की कोषागार से आहरित/भुगतान की प्रविष्टि रोकड़ बही में नहीं किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरणः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग–II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग–II 'ब' प्रस्तर संख्या	स्टैन
10/2013–14	–	1 एवं 2 कार्यालय के उपमहालेखाकार के अनुमोदन पश्चात पूर्व लम्बित प्रस्तरों को निरस्त के पश्चात .... कष्ट करें।	1

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
10/2013–14	भाग–II 'ब' प्रस्तर–1	(i) औषधियों की गुणवत्ता जॉच करायी जा रही है, (ii) जनपद में कोई भी औषधि निर्माता फर्म न होने के कारण निर्माण की तिथि से तीन माह के अन्दर औषधियों की आपूर्ति करना सम्भव नहीं है, (iii) जो औषधियॉ नमूना जॉच हेतु भेजी जाती है उनके गुणवत्ता जॉच रिपोर्ट आने के पश्चात् ही बिलों का भुगतान किया जाता है तथा (iv) पंजीकृत फर्मों से ही न्यूनतम दरों पर औषधियॉ क्रय की गयी हैं।	कार्यालय के प्रतिउत्तर, साक्ष्य एवं वर्तमान में अनुपालन किए जाने के कारण प्रस्तर को निरस्त किए जाने की संस्तुति की जाती है।	
	भाग–II 'ब' प्रस्तर–2	रेडियोलॉजिस्ट के द्वारा दिनॉक 02.12.2016 से दोनों सोनोग्राफी मशीनें उपयोग में लाई जा रही है तथा स्टैलाईजेशन हेतु मशीन को महानिदेशालय के निर्देशानुसार राजकीय संयुक्त चिकित्सालय, देहरादून को हस्तगत की जा चुकी है।	कार्यालय के प्रतिउत्तर एवं साक्ष्य के कारण प्रस्तर को निरस्त किए जाने की संस्तुति की जाती है।	
	स्टैन प्रस्तर–1	दैवीय आपदा एवं यात्रा के दौरान आये वी0वी0आई0पी0 और वी0आई0पी0 हेतु चिकित्सालय में आवश्यक जीवन रक्षक औषधियॉ उपलब्ध न होने के कारण स्थानीय बाजार से क्रय की गयी।	कार्यालय के प्रतिउत्तर के कारण प्रस्तर यथावत रखे जाने की संस्तुति की जाती है।	

भाग–IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

–– शून्य ––

भाग–V

1. कार्यालय महालेखाकार लेखापरीक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गए अभिलेख एवं सूचनाऐं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, रुद्रप्रयाग तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि, लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गयेः–

   (i)
   (ii) } –– शून्य ––

2. **सतत् अनियमितताऐंः**

   (i)
   (ii) } –– शून्य ––

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः–

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	अवधि
1.	डा0 एस0पी0एस0 नेगी	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	01.06.2013 से 28.06.2016
2.	डा0 वी0एस0 चौहान	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	29.06.2016 से 07.07.2017
3.	डा0 डी0एस0 रावत	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	08.07.2017 से 31.07.2017
2.	डा0 डी0सी0 सेमवाल	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	01.08.2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, रुद्रप्रयाग को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप–महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामाजिक क्षेत्र